न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस. प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./214/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
देराजराम पुत्र मगनाराम, उम्र 48 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सीलगण, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।	1. पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम 2. आसूराम पुत्र मगनाराम 3. कानाराम पुत्र मगनाराम 4. भंवराराम पुत्र मगनाराम 5. अमराराम पुत्र मगनाराम 6. वींजाराम पुत्र लिछमणाराम फौत के कायम मुकाम— 6/1. रूपाराम पुत्र वींजाराम 6/2. रिडमलराम पुत्र वींजाराम 6/3. बालाराम पुत्र वींजाराम, जाति मेघवाल, निवासी सीलगण, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक धोरीमन्ना। 8. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना। 9. प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बउनवान पूनमाराम बनाम आसूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति—

1. वकील श्री मदनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करणसिंह राजपूरोहित रेस्पों. संख्या 1, 6/1 से 6/3 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पों. संख्या 9 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—08.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा भीमथल, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 34 रकबा 46.13, खसरा संख्या 44 रकबा 24.10 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 126 बीघा कुल रकबा 197.03 बीघा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा लौहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 413 रकवा 09 बिस्वा व मौजा लखारी नाडी पटवार क्षैत्र लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 85 रकबा 04.06 बीघा के आये हुए है। तथा मौके पर मौखिक वंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत वंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार वंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा भीमथल, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 34 रकबा 46.13, खसरा संख्या 44 रकबा 24.10 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 126 बीघा कुल रकबा 197.03 बीघा, मौजा लौहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 413 रकबा 09 बिस्वा व मौजा लखारी नाडी पटवार क्षैत्र लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 85 रकबा 04.06 बीघा के आये हुए है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अवसर प्रदान किये बिना ही वादी की एकतरफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन वाद पत्र उद्घोषणा का था जिसमें साक्ष्य ली जानी विधि अनुसार आज्ञापक होता है जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी का मौके पर मौखिक वंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जबाव दावा प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है तो प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की विधिक स्वंतत्रता प्राप्त होते हुए भी हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। बाद तामील प्रतिवादीगण वकालतन उपस्थिति आये है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसील कार्यालय का कार्मिक नोटिस लेकर अपीलांट के घर आया एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का बताया तब जाकर अपीलांट द्वारा नकल ली गई। इसके बाद अपीलांट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये और अपीलांट द्वारा न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा भीमथल, तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 34 रकबा 46.13, खसरा संख्या 44 रकबा 24.10 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 126 बीघा कुल रकबा 197.03 बीघा, मौजा लौहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 413 रकबा 09 बिस्वा व मौजा लखारी नाडी पटवार क्षैत्र लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 85 रकबा 04.06 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार **By metes & Bound** सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। अपीलांट द्वारा पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद जाहिर नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक–हिस्से में विवाद बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जहां तक अपीलांट को सुनवाई का प्रश्न है उसके संबंध में यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन प्रेषित किये गये। अपीलांट बाद तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संवंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से हाजा न्यायालय की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2020 बउनवान पूनमाराम बनाम आसूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2025 को यथावत रखा जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
(ओमप्रकाश विश्नोई),
प्रथम लिंक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर